भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
नोटिस

दल संख्या–137021018 कांस्टेबल (चालक) राकेश कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी गांव–पांची जाटान, पो.ओ–पुरखास, तहसील–गनौर, पु.स्टे–गनौर, जिला–सोनीपत (हरियाणा), पिन–131102 को दिनांक 10.06.23 से 30.07.23 तक 50 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। अवकाश समाप्ति पर उसे दिनांक–30.07.23 (अप्रा0) को 37वीं वाहिनी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, लेह, लद्दाख (यू.टी.) में आमद देनी थी, परन्तु ऐसा न करके सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपनी मर्जी से अनुपस्थित चल रहा है।

2. कर्मी को इस कार्यालय के ज्ञापन सं0–2565 दिनांक–05.08.23 एवं ज्ञापन संख्या–2768 दिनांक–21.08.23 के तहत ड्यूटी पर आमद देने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद भी कर्मी ने न तो स्वयं वाहिनी में आमद दी व न ही कोई सूचना प्रेषित की गई है जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 21(b) के तहत एक अपराध है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 74(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार कर्मी के विलम्ब का कारणों का पता लगाने के लिए इस कर्यालय के आदेश संख्या–2065 दिनांक–23.10.23 एवं संशोधन आदेश संख्या 2322 दिनांक 28.11.23 के तहत न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया तथा न्यायिक जॉच समिति की संस्तुति के आधार पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 74(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार इस कार्यालय के आदेश संख्या– 7800–ए दिनांक–06.03.24 के तहत कर्मी को दिनांक 30.07.23 (अप्रा) से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से **"भगौड़ा"** घोषित किया गया है।

3. अतः इस नोटिस के माध्यम से दल संख्या–137021018 कांस्टेबल (चालक) राकेश कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, को एक और मौका देते हुये निर्देशित किया जाता है कि वह इस नोटिस के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथी से 30 दिन के अन्दर अपनी आमद 37वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा बल, लेह, लद्दाख (यू.टी.) में दें **अन्यथा एक तरफा निर्णय लेते हुये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम व अधिनियमों के तहत कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।**

सेनानी
37वी वाहिनी, भा0ति0सी0पु0

सेनानी
COMMANDANT
37वीं वाहिनी भा.ति.सी.पु.बल
37BN.I.T.B. POLICE FORCE

CBC- 19112/11/0034/2425